नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

श्रीमती सोबना इकाई और अन्य।

9 जुलाई 2007

[ए.के. माथुर और दलवीर भंडारी, जे.जे.]

बीमा:

बीमा पॉलिसी-धारित की प्रभावशीलता: पॉलिसी में विशेष रूप से शामिल समय और तारीख से प्रभावी, न कि पहले के समय से।

अपीलकर्ता-बीमा कंपनी ने 22.6.1994 को प्रतिवादी को एक बीमा पॉलिसी जारी की। यह पॉलिसी 21.6.1993 को समाप्त हो गई और 30.6.1993 को इसकी समाप्ति के 6 दिन बाद इसे नवीनीकृत किया गया। उक्त पॉलिसी 29.6.1994 को समाप्त हो गई, उक्त बीमा पॉलिसी की समाप्ति के 21 दिन बाद, 20.7.1994 को सुबह लगभग 9.15 बजे दुर्घटना हुई, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। बीमा पॉलिसी उसी दिन यानी 20.7.1994 को दोपहर 2.00 बजे नवीनीकृत की गई थी। 'मोटर रिन्यूअल एंडोर्समेंट' नामक दस्तावेज़ में समय का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था।

एमएसीटी ने बीमा पॉलिसी की विशिष्ट शर्तों की अनदेखी करते हुए

दावा याचिका की अनुमति दी। अपील पर, उच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया क्योंकि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा कैशियर और विकास अधिकारी को पेश नहीं किया गया था। इसलिए

ये अपीलें न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया :

1.1. बीमा पॉलिसी की प्रभावशीलता पॉलिसी में विशेष रूप से शामिल किए गए समय और दिनांक से शुरू होगी, न कि पहले के समय से। [पैरा 19] [114-सी)

1.2. स्वीकार्यत जिस समय 20.7.1994 को सुबह 9.15 बजे दुर्घटना हुई थी, उस समय प्रतिवादी के पास बीमा कवर नहीं था। बीमा पॉलिसी 20.7.1994 को दोपहर 2.00 बजे प्राप्त हुई। जो मोटर नवीनीकरण पृष्ठांकन की स्पष्ट साक्ष्य है। बीमा पॉलिसी और मोटर नवीनीकरण पृष्ठांकन रिकॉर्ड पर थे। ये दोनों दस्तावेज़ अपीलकर्ता कंपनी द्वारा प्रस्तुत और साबित किए गए थे। अधिकरण और हाई कोर्ट ने इन बुनियादी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नजरअंदाज करने और कैशियर और विकास अधिकारी को पेश नही करने के आधार पर अपीलकर्ता कंपनी के खिलाफ मामले का फैसला करने में गलती की।[पैरा 12 और 13] [112-जी-एच; 113-ए-बीआई

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम रामदयाल [1990] 2 एस सी आर 570, मैससर् नेशनल बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती जिखुभाइ

नाथूजी डाभी, [1997] 1 एस सी सी 66 मेसर्स आेरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनीता राठी, [1998] 1 एस एस सी 365; न्यू इंडिया एस्योरेंस कं- बनाम भगवती देवी [1998] 6 एस एस सी 534 न्यू इंडिया आश्वासन कंपनी लिमिटेड बनाम सीता बाइ [1997] 7 एस.एस.सी. 575 राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम चिंतो देवी [2000] 7 एस एस सी 50 और कलाइवानी और अन्य, वी के शिवशंकर और अन्य [2001] 10 एस सी 396 पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1393/2001

एमए (एफ) 1998 का नंबर 3 (एसएच) में असम नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश (शिलांग बेंच) के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 4.10.1999 से ।

साथ

सी.ए. 2001 की संख्या 1394 में

2001 की सी.ए.संख्या 1393 और 1394

अपीलकर्ता के लिए के. सिंघल, विनीत मल्होत्रा और राजीव नंदा और बीनू टम्टा।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

दलवीर भंडारी, जे.

1. ये अपीलें गौहाटी उच्च न्यायालय द्वारा एमए (एफ) संख्या 3 (एसएच) और 4 (एसएच) 1998 में पारित दिनांक 4.10.1999 के फैसले के खिलाफ निर्देशित हैं।

2. इन दोनों अपीलों के तथ्य समान हैं, अतः इन अपीलों का निस्तारण एक सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है। सुविधा के लिए, 2001 की सिविल अपील संख्या 1394 के तथ्यों को दोबारा दोहराया गया है।

3. इन अपीलों में निर्णय के लिए जो प्रश्न आता है वह यह है कि क्या बीमा कंपनी को उस अवधि के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब बीमा पॉलिसी अस्तित्व में ही नहीं थी।

4. अपीलकर्ता, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मूल रूप से प्रतिवादी को एक बीमा पॉलिसी 22.6.1992 को 12:45 पर जारी की जिसका नंबर 201002/31/92/63/00057 था। इस पॉलिसी की समय सीमा 21.6.1992 को समाप्त हो गई। इस पॉलिसी का 30.6.1993 को इसकी समाप्ति के 9 दिन बाद नवीनीकरण किया गया और उक्त पॉलिसी भी 29.6.1994 को समाप्त हो गई। उक्त बीमा पॉलिसी की समाप्ति के 21 दिन बाद, पंजीकरण संख्या एम एल-04-2741 वाली बस 20.7.1994 को सुबह लगभग 9.15 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो

गई। एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे की कुछ दिनों बाद अस्पताल में मौत हो गई. बेशक, वर्तमान मामले में, बीमा पॉलिसी 20.7.1994 को दोपहर 2.00 बजे नवीनीकृत की गई, जबकि दुर्घटना 20.7.1994 को सुबह 9:15 बजे हुई थी। मोटर रिन्यूअल एंडोर्समेंट नामक दस्तावेज़ में समय का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस दस्तावेज़ में यह शामिल है कि पॉलिसी 20.7.1994 (दोपहर 2.00 बजे) से 19.7.1995 तक बारह महीनों के लिए नवीनीकृत की जाती है। चूंकि पूरा विवाद नवीनीकरण पृष्ठांकन के समय के आसपास घूमता है, इसलिए, हम मोटर नवीनीकरण पृष्ठांकन को पूरी तरह से निम्नानुसार निर्धारित करना उचित समझते हैं:

मोटर नवीनीकरण पृष्ठांकन

पॉलिसी संख्या पर पृष्ठांकन संख्या ई/94/00095

201002/31/92/63/00057

बीमित: एम.सी.ए.बी. मार्टियांग ए/सी श्री एकलेनसिंग स्लैंगशाल

पता: उम्मुलोंग. जैंतिया हिल्स जिला.

इस पाॅलेसी से यह घोषित और स्वीकार्य है कि बीमा दिनांक 20-07-94 (दोपहर 2 बजे) से 19-07-95 तक बारह महीने की अवधि के लिए नवीनीकृत िकया गया जो रुपये 7641/- के प्रीमियम पर किया जैसा कि

नीचे बताया गया है:

वाहन

उत्पाद का बनाव और वर्ष	पंजीकरण चिह्न एवं संख्या	बीमाकृत निकाय एवं सी.सी.	चालक सहित बैठने की क्षमता या वहन क्षमता	सहायक उपकरण सहित अनुमानित मूल्य(भारतीय मुद्रा)
टाटा बस,1992	एमएल-2741	बस बॉडी, 31.5	28+2	Rs 3,00,000

प्रीमियम गणना:

क. एक्ट/टी.पी.	खुद का नुकसान	रु. 450.00
ख. खुद की क्षति	आई ई वी	रु.3.450.00
ग.		रु. 3,900.00
घ.	28 यात्री	रु. 3,080.00
ड.	अधिनियम, डी/सी.रु.	680.00

रु. 7,660.00

च. कम 5% एस.डी. रु. 383.00

रु. 7,277.00

जोड़ें 5% एस टी रु 363,85

रु. 7,640.85

नेट रु.7.641/-

एसडी/-

संभागीय/शाखा प्रबंधक"

5. उपरोक्त मोटर नवीनीकरण अनुमोदन में, समय और तारीख का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी के अनुसार अनुबंध की विशेष प्रकृति को देखते हुए बीमा पॉलिसी 20.7.1994 को दोपहर दो बजे से ही लागू हो गई।

6. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जोवाई में रु. 1,78,000/- और 12% प्रति वर्ष ब्याज की दावा याचिका दायर की गई थी। अपीलकर्ता कंपनी ने एक लिखित बयान दायर किया जिसमें विशेष रूप से अनुरोध किया गया कि दुर्घटना के समय पॉलिसी चालू नहीं थी। लिखित बयान का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:

"दुर्घटना के समय पॉलिसी चालू नहीं थी। वाहन का लगभग 3 सप्ताह के अंतराल के बाद 20.7.94 को दोपहर लगभग 2.00 बजे पुन: बीमा किया गया था, जबकि कथित दुर्घटना उसी दिन सुबह 9.15 बजे हुई थी। इसके विपरीत पार्टी (बीमा कंपनी) दावेदार को किसी भी भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। बीमा प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है।"

7. मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने बीमा पॉलिसी की विशिष्ट शर्तों और अपीलकर्ता कंपनी द्वारा दायर लिखित स्टेटमेंट के कथनों की अनदेखी करते हुए दावा याचिका की अनुमति दी। ट्रिब्यूनल ने इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा स्पष्ट की गई स्थापित कानूनी स्थिति को भी नजरअंदाज कर दिया। ट्रिब्यूनल ने दावा याचिका के निष्पादन से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 1,06,000/- रुपये का मुआवजा दिया और अपीलकर्ता कंपनी को दो महीने की अवधि के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया, अन्यथा दावेदार को मुआवजे का अंतिम भुगतान दिए जाने तक 15% की दर से अतिरिक्त ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

8. अपीलकर्ता कंपनी ने ट्रिब्यूनल के आदेश से व्यथित होकर, गौहाटी उच्च न्यायालय की शिलांग पीठ के समक्ष 1998 का एमए (एफ) नंबर 4 (एसएच) दायर किया। उच्च न्यायालय ने दलीलों पर गौर किया

और इस न्यायालय के फैसलो का हवाला दिया। उच्च न्यायालय ने, इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर चर्चा करने के बाद, कानून के निम्नलिखित प्रस्ताव निकाले:

(1) यदि बीमा पॉलिसी या कवर नोट में समय का उल्लेख किया गया है पॉलिसी की प्रभावशीलता उस समय और तारीख से शुरू होगी और पहले के समय से नहीं;

(2) यदि दुर्घटना उसी तिथि को समय से पहले हो जाती है जिसका उल्लेख बीमा पॉलिसी में किया गया है तो बीमाकर्ता बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा;

(3) यदि बीमा पॉलिसी में समय का उल्लेख नहीं किया गया है, तो समय उसी तारीख से प्रारंभ होगा अर्थात आधी रात है। यदि पॉलिसी लेने की तारीख पर दुर्घटना हुई, तो बीमाकर्ता बीमाधारक पर अध्ीरोपित क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा।"

9. इस न्यायालय के िनणीर्त मामलों का उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया अनुपात सही है लेकिन उच्च न्यायालय ने इन मामलों के अनुपात को गलत तरीके से लागू किया है और गलत तरीके से अवधारीत िकया है कि बीमा कंपनी इस कारण से मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है कि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा कैशियर और विकास अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना और संबंधित दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन भी किया है। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि मामले में शामिल विवाद अब एकीकृत नहीं रह गया है। हालांकि, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने कानून को सही ढंग से प्रतिपादित किया है, लेकिन इस न्यायालय के निर्णयों के अनुपात को सही ढंग से लागू न करके गंभीर गलती की है। उन्होंने आगे कहा कि जब बीमा पॉलिसी और मोटर नवीनीकरण पृष्ठांकन को विधिवत दायर किया गया था और इन दस्तावेजों को ट्रिब्यूनल के समक्ष विधिवत साबित किया गया था, उस स्थिति में, पूरा विवाद खत्म हो जाना चाहिए और मामले में निर्णय इन दो दस्तावेजों के आधार पर किया जाना था तथा कैशियर और विकास अधिकारी का पेश होना विवाद के निस्तारण के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था।

11. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय के निर्णयों का समर्थन किया।

12. स्वीकार्यत, 20.7.1994 को सुबह 9.15 बजे जब दुर्घटना हुई, उस समय प्रतिवादी के पास बीमा कवर नहीं था। बीमा पॉलिसी 20.7.1994 को दोपहर 2.00 बजे प्राप्त की गई थी, जो मोटर नवीनीकरण पृष्ठांकन से स्पष्ट है जो निर्णय के पहले भाग में निर्धारित किया गया है।

13. बीमा पॉलिसी और मोटर नवीनीकरण पृष्ठांकन रिकॉर्ड पर थे।

ये दोनों दस्तावेज़ अपीलकर्ता कंपनी द्वारा प्रस्तुत और साबित किए गए थे। ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय ने इन बुनियादी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी करके और कैशियर और विकास अधिकारी को पेश नहीं करने के आधार पर अपीलकर्ता कंपनी के खिलाफ मामले का फैसला करके गंभीर गलती की है। उच्च न्यायालय के इस स्पष्ट रूप से गलत दृष्टिकोण के कारण न्याय की गंभीर हानि हुई है।

14. इस न्यायालय के पास न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी बनाम राम दयाल, [1990] 2 एससीआर 570 के मामले में इसी तरह के विवाद की जांच करने का अवसर था। इस मामले में, इस न्यायालय ने माना कि पॉलिसी में उल्लिखित किसी विशिष्ट समय के अभाव में, अनुबंध साधारण खण्ड अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिन की मध्य रात्रि से प्रभावी होगा, लेकिन बीमा पॉलिसी में उल्लिखित विशेष अनुबंध को ध्यान में रखते हुए, पॉलिसी की प्रभावशीलता पॉलिसी में संकेतित समय और तारीख से शुरू होगी।

15. मैसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती जिखूभाई नाथूजी डाभी, [1997] I एससीसी 66 के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि इस संबंध में उल्लिखित किसी विशिष्ट समय की अनुपस्थिति में, अनुबंध सामान्य खंड अधिनियम के प्रावधानों के तहत दिन की मध्य रात्रि से प्रभावी होगा। लेकिन बीमा

पॉलिसी में उल्लिखित विशेष अनुबंध के मद्देनजर यह बीमा पॉलिसी लेने के समय और तारीख से लागू होगी। ऐसे में बीमा पॉलिसी शाम चार बजे ली गई थी। 25.10.1983 को और दुर्घटना उससे पहले घटी थी। इस न्यायालय ने माना कि बीमा कवरेज दावेदार को अपीलकर्ता कंपनी से राशि की वसूली करने में सक्षम नहीं बनाएगा।

16. मैसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनीता राठी, [1998] 1 एससीसी 365 में इस न्यायालय की एक और तीन-न्यायाधीश पीठ ने इसी तरह के तथ्यों पर विचार किया। इस मामले में, दुर्घटना दोपहर 2.20 बजे हुई और कवर नोट उसके बाद दोपहर 2.55 बजे प्राप्त हुआ। कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी पॉलिसी में उल्लिखित समय और तारीख से प्रभावी होगी।

17. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी बनाम भगवती देवी, [1998] 6 एससीसी 534 में, इस न्यायालय ने देखा कि, किसी विशिष्ट समय और तारीख के अभाव में, बीमा पॉलिसी पिछली आधी रात से सक्रिय हो जाती है। लेकिन जब विशिष्ट समय और तारीख का उल्लेख किया जाता है, तो बीमा पॉलिसी उसी समय से प्रभावी हो जाती है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सीता बाई, [1999] 7 एससीसी 575 और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चिंता देवी [2000] 7 एससीसी 50 में इस न्यायालय ने यही दृष्टिकोण अपनाया है।

18. कलाइवानी एवं अन्य बनाम के. शिवशंकर एवं अन्य, जे टी (2001) 10 एससी 396, में इस न्यायालय ने कानून की स्पष्ट व्याख्या को दोहराया है। न्यायालय ने कहा कि यह न्यायालय का दायित्व है कि वह बीमा के अनुबंध पर गौर करे और यह देखे कि क्या पॉलिसी की शुरुआत या समाप्ति के लिए कोई विशेष समय निर्दिष्ट किया गया है। हमारे सामने बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मामले आए हैं जहां दुर्घटना के तुरंत बाद गुप्त तरीके से मुआवजा पाने के लिए बीमा पॉलिसी ले ली जाती है।

19. दुर्घटनाओं के बाद बीमा पॉलिसी प्राप्त करने की व्यापक रिष्टी पर अंकुश लगाने के लिए, यह स्पष्ट रूप से मानना अत्यावश्यक है कि बीमा पॉलिसी की प्रभावशीलता पॉलिसी में विशेष रूप से शामिल समय और तारीख से शुरू होगी, न कि समय के पहले बिंदु से।

20. हमारे पूर्वगामी निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, ये अपीलें स्वीकृत होनी ही चाहिए और हम तदनुसार आदेश देते हैं। परिणामस्वरूप, आक्षेपित निर्णय उच्च न्यायालय को अपास्त किया जाता है। प्रकरण के असाधारण तथ्यों और परिस्थितियों में, हम पक्षकारो को अपनी लागत स्वयं वहन करने का निर्देश देते हैं।

डी.जी.

अपील स्वीकार्य

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी ममता मीना, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।